सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 22 माघ, 1947 (श०) / 11 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	..	..	04
(2)	पंचायती राज विभाग	..	..	02
(3)	लघु जल संसाधन विभाग	..	..	01
			कुल योग --	07

पहचान सुनिश्चित करना

14. श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य की लाखों जीविका दीदियाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उनकी सुरक्षा और आधिकारिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधार-लिंक्ड फोटो पहचान पत्र (ID Card) और एक निर्धारित ड्रेस कोड (साड़ी/एप्रन) उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

15. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 जनवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक "पी0एम0 आवास राशि भुगतान रुकने से नौ लाख गरीब आवासों का निर्माण अटका" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 लाख और 2025-26 में अप्रील तक 5 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण स्वीकृति मिली थी, जिसमें 9 लाख से अधिक आवासों के निर्माण लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि से अद्यतन 12 लाख 20 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2 लाख 85 हजार आवास पूर्ण हुए हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करना

16. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सैकड़ों तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु वाद संख्या सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0 9692/2015 में दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 को निर्णय दिया गया था कि सरकार के सभी अतिक्रमित तालाबों को जिला पदाधिकारी अपने स्तर से मुक्त करवाएँ परन्तु इसके बावजूद पटना जिला में 64 तालाब, नालन्दा जिला में 50, पश्चिमी चम्पारण में 77, पूर्वी चम्पारण में 64, दरभंगा में 19, खगड़िया में 30, बक्सर में 122 सहित पूरे राज्य में लगभग 1045 तालाब वर्तमान में अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नलकूपों को चालू कराना

17. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 10240 राजकीय नलकूपों में से 5340 से अधिक नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत् दोष से बंद पड़े हुये हैं, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े राजकीय नलकूपों को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी का वेतन निर्धारण

18. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में कार्य हेतु सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी नियुक्त हैं, जिसे वेतन के रूप में मात्र क्रमशः 7,000 (सात हजार) एवं 3,000 (तीन हजार) रुपया दिया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित एक दिन के दैनिक मजदूरी से भी कम है, जिससे जीविकोपार्जन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के हिसाब से पंचायतों में कार्यरत सफाई सुपरवाईजर एवं सफाई कर्मी का भी वेतन निर्धारण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास निर्माण कराना

19. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "71 हजार लाभुकों को अभी पहली किस्त की ही राशि नहीं मिली" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 12 लाख 20 हजार 809 आवास स्वीकृत किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त में से 71 हजार को पहली किस्त 4 लाख 60 हजार 422 को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से आवासों का निर्माण अधूरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उतनी बड़ी संख्या में पहली और दूसरी किस्त नहीं दिए जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अवधि में 12 लाख 19 हजार 615 लक्ष्य प्राप्त है । प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख 08 हजार 327 आवासों की स्वीकृति दी गई है ।

(2) अंशतः स्वीकारात्मक है । योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत 12 लाख 08 हजार 327 आवासों में से 11 लाख 35 हजार 835 आवासों के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है, 72 हजार 492 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान लम्बित है ।

प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्त 11 लाख 35 हजार 835 लाभुकों में से 7 लाख 47 हजार 366 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है, 3 लाख 26 हजार 950 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान लम्बित है । वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अवधि के 9 लाख 16 हजार 709 आवास पूर्णता हेतु लम्बित है ।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई माह के बाद से योजनान्तर्गत राशि का व्यय SNA SPARSH Module के तहत किये जाने का निदेश दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नई व्यवस्था को लागू करने में कतिपय कठिनाई होने के कारण भारत सरकार को SNA SPARSH Module से छूट देते हुए पूर्व की व्यवस्था के तहत राशि की विमुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त के आलोक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 01/(09)/PFMS/2022(Pt-3), दिनांक 7 जनवरी, 2026 द्वारा 31 जनवरी, 2026 तक SNA SPARSH Module से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बिहार राज्य के लिए छूट दिया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा ।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के स्तर से SNA SPARSH Module को लागू करने हेतु आवास सॉफ्ट को IFMIS (CFMS 2.0) से एकीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

अनुदान देना

20. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 8प/वि-5-131/2013/पं0/रा0/5482, पटना, दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधि के परिजन को पाँच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुग्रह अनुदान राशि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रावधानित नहीं है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य मृत्यु पर पाँच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि का प्रावधान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 11 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 25(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026